[ 2021 ] 1 एस. सी. आर 858

बोलोरम बोर्डोलोई

वी.

लक्ष्मी गौलिया बैंक एंड ओआरएस।

( 2010 की सिविल अपील सं. 4394)

फरवरी 08,2021

[ अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी, एम. आर. शाह, जे. जे.]

सेवा कानून-अपीलार्थी-प्रत्यर्थी के प्रबंधक-बैंक के खिलाफ ऋण के दुरुपयोग, अनियमित वितरण के आरोप।

· विभागीय जांच शुरू की गई-पूछताछ अधिकारी ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोप साबित किए-अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी-अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश की पुष्टि की-अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

अदालत ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सेवा लाभों को रोकने, पेंशन संबंधी बकाया को अवैध ठहराया, अपीलार्थी को इसके भुगतान के लिए निर्देश दिया-डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किया गया आदेश-आयोजितः तथ्यों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का प्रत्यर्थी द्वारा पालन नहीं किया गया था-बनाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं-अपीलार्थी ने वस्तुतः आरोपों को स्वीकार किया, हालांकि, यह समझाने की कोशिश की कि ऐसी खामियां काम के दबाव के कारण हुईं-गंभीर आरोपों पर सिद्ध कदाचार के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण स्वयं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने में उदार था-आरोपों की गंभीरता के लिए असमान दंड नहीं लगाया गया-योग्यता के बिना अपील।

सेवा कानून-विभागीय जांच-पूछताछ अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित दंड आदेश-कारणों की रिकॉर्डिंग-आयोजितः यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी पूछताछ अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करता है और एक आदेश पारित करता है, तो सजा देने वाले आदेश में कोई विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः जाँच अधिकारी ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद माना है कि सभी आरोप साबित हो गए हैं। जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर,

858 बोलोरम बोर्डोलोई बनाम। लक्ष्मी गौलिया बैंक एंड ओआरएस।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अस्थायी रूप से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का फैसला किया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने एक प्रति संलग्न करके दिनांकित 30.07.2005 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया है।

जाँच रिपोर्ट। कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने दिनांकित पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है

16.08.2005 . कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का आदेश पारित किया जाता है। पूछताछ अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए अस्थायी स्थिति पर पहुंचने के लिए हमेशा खुला रहता है।

प्रस्तावित दंड का समापन और यह जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करके अपराधी कर्मचारी को संकेत दे सकता है। हालाँकि अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ही,

जाँच रिपोर्ट उसे दी जानी है, लेकिन इस न्यायालय के फैसले में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद के मामले में अपीलार्थी के वकील द्वारा भरोसा किया गया हो। उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय लेने से पहले अपराधी कर्मचारी जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की एक प्रति का हकदार है।

अपराधी के अपराध के प्रश्न पर निर्णय। केवल इसलिए कि प्रस्तावित का संकेत देते हुए कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाता है

जांच रिपोर्ट, इस प्रकार, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आगे कोई विस्तृत कारण देने की आवश्यकता नहीं है। विभागीय जांच में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं। अपने दिनांकित 16.08.2005 के पत्र में, कारण बताएँ नोटिस में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए, उन्होंने वस्तुतः आरोपों को स्वीकार किया, हालांकि, यह समझाने की कोशिश की कि ऐसी खामियां काम के दबाव के कारण हुईं। उन्होंने आगे कहा-वह [2021] 1 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खामियां। बैंक का प्रबंधक बैंक के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बैंक अधिकारी/कर्मचारी जनता के साथ काम करता है। पैसा। उनके काम की प्रकृति सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए अंतर्निहित आवश्यकता के साथ सतर्कता की मांग करती है। यदि बैंक के किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके अधिकार से परे काम करने की अनुमति दी जाती है, तो बैंक का अनुशासन समाप्त हो जाएगा। जब ऋण देने के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है और किसी भी विचलन से बैंकों पर जनता का विश्वास कम हो जाएगा। यदि किसी बैंक का प्रबंधक इस तरह के कदाचार में लिप्त है, जो आरोप पत्र और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से स्पष्ट है, तो यह इंगित करता है कि ऐसे आरोप गंभीर और गंभीर हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों पर साबित कदाचार के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण स्वयं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने में उदार था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में दी गई सजा

अपीलार्थी, आरोपों की गंभीरता के लिए असमानुपाती है। द.

अपील योग्यता से रहित है। [ पैरा 7,8] [863-डी-एच; 864-ए-सी; ई-एच; 865-ए-बी]

प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य। वी. बी. करुणाकर और ओआरएस। ( 1993 ) 4 एससीसी 727: [ 1993 ] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 576-लागू नहीं होता है।

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन

( 2019 ) 16 एससीसी 69: [ 2019 ] 9 एस. सी. आर. 1016-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 1993 ] 2 पूरक। एससीआर 576

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 4

[ 2019 ] 9 एससीआर 1016

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4394

2010 से।

गुवाहाटी के 03.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की रिट अपील संख्या 361 में उच्च न्यायालय।

एम/के लिए पार्थिव गोस्वामी, ए. हेनरी, राजीव मेहता, राजेश कुमार

एस. मित्तर एंड मित्तर कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

बोलोरम बोर्डोलोई बनाम। लक्ष्मी गौलिया बैंक एंड ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. यह दीवानी अपील अपीलार्थी द्वारा 2008 की रिट अपील No.361 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की फाइल पर दायर की गई है, जो दिनांकित आदेश से व्यथित है।

03.04.2009 . उपरोक्त आदेश द्वारा, 2006 की रिट याचिका No.219 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.06.2007 का आदेश था

पुष्टि की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा है कि सेवा लाभों को रोकने के साथ-साथ अपीलार्थी को पेंशन का बकाया अवैध है और उसने सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

2. अपीलार्थी प्रथम प्रत्यर्थी-बैंक का प्रबंधक था। उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों के आधार पर, अनुशासनात्मक

कार्यवाही शुरू की गई और आरोप ज्ञापन दिनांक 18.06.2004 था जारी किया गया। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में आरोपों का सार निकाला जाता है। 15.07.2004 पर उनके द्वारा दायर जवाब को देखते हुए, आरोपों से इनकार करते हुए, प्रत्यर्थी-बैंक संतुष्ट नहीं है

स्पष्टीकरण, अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देने का निर्णय लिया है। जाँच अधिकारी ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करते हुए जाँच पूरी करने के बाद कहा है कि

सभी शुल्क, अर्थात शुल्क संख्या। 1 5 तक, अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए। जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी-बैंक ने अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का प्रस्ताव दिया है। विभागीय जांच में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर, सेवा से "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" की सजा देने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी विभागीय अपीलीय प्राधिकरण अर्थात बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष असफल रहा और अपीलीय प्राधिकरण ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि करने वाली उसकी अपील को खारिज कर दिया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, जैसा कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है, अपीलार्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका (सी) No.219 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत निर्णय और दिनांकित 08.06.2007 के आदेश के माध्यम से अनिवार्य आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। सेवानिवृत्ति लेकिन साथ ही यह पाया गया है कि पेंशन बकाया सहित सेवा लाभों को रोकना अवैध था और अपीलार्थी को ऐसे लाभों के भुगतान के लिए निर्देश जारी किए गए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विपरीत, अपीलार्थी ने [2021] 1 एस. सी. आर. की रिट अपील No.361 को प्राथमिकता दी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2008. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, विवादित आदेश द्वारा,

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करके उसे खारिज कर दिया। 3. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पार्थिव गोस्वामी और श्री राजेश कुमार को सुना है।

उत्तरदाता-बैंक।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि जाँच पूरी होने के बाद, जाँच की एक प्रति प्रस्तुत करने से पहले भी

रिपोर्ट, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांकित कारण दस्सो नोटिस जारी किया है

कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट की सेवा से पहले ही इस तरह का निष्कर्ष निकालना अवैध है। अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। वी. बी. करुणाकर और ओआरएस। ( 1993 ) 4 एस. सी. सी. 727 और भारतीय स्टेट बैंक और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। वी. मोहम्मद बदरूद्दीन

( 2019 ) 16 एससीसी 69। विद्वान वकील की आगे की प्रस्तुति यह थी कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाते समय दिनांकित 29.08.2005 आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं किया है और इसी तरह अपीलीय प्राधिकरण ने कारण दर्ज किए बिना अपील को खारिज कर दिया है। अंत में, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि लगाया गया दंड आरोपों की गंभीरता के अनुपात में नहीं है, इस प्रकार, विवादित आदेशों को दरकिनार करने के लिए अनुरोध किया जाता है। 5. दूसरी ओर, श्री राजेश कुमार, प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से पेश विद्वान वकील, हमें उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों की ओर ले गए।

अपीलार्थी और पूछताछ अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं और अपीलार्थी के सिद्ध कदाचार को देखते हुए, जो बैंक में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, लगाए गए दंड को असमान नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच पूरी होने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए हमेशा खुला रहता है कि वह पूछताछ रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करके कारण बताएँ नोटिस में सजा का संकेत दे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया है नियमों और अपनाई गई प्रक्रिया के तहत प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, बोलोरम बोर्डोलोई बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुरूप है।

लक्ष्मी गौलिया बैंक एंड ओआरएस। [ आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित आदेश, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है। 7. अपीलार्थी प्रत्यर्थी बैंक के प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। जांच अधिकारी द्वारा साबित किए गए आरोपों के अवलोकन से पता चलता है कि उसने कानून के तहत विचार की गई उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऋणों को मंजूरी और वितरण किया है और कुछ में गबन, अनियमित रूप से ऋण वितरित करने के आरोप भी हैं।

उदाहरण (ए) बिना किसी दुकान/व्यवसाय वाली इकाइयों के लिए; (बी) एक ही परिवार के सदस्यों को एक से अधिक ऋण आदि। पूछताछ अधिकारी, विचार करने के बाद

अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य ने माना है कि सभी आरोप साबित हुए हैं। जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अस्थायी रूप से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का फैसला किया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 30.07.2005 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया है। कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने दिनांकित 16.08.2005 पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जो दर्शाती हैं कि काम के दबाव के कारण कुछ परिचालन खामियां हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि अगर उनकी गलती के कारण बैंक को कोई नुकसान हुआ है, तो वह अपने स्रोत से इस तरह के नुकसान को सहन करने के लिए तैयार हैं। कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने का आदेश पारित किया जाता है। जाँच अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए प्रस्तावित सजा के अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंचना हमेशा खुला रहता है और यह जाँच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करके अपराधी कर्मचारी को संकेत दे सकता है। हालाँकि विद्वान सलाहकार

क्योंकि अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही उसे जांच रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद के मामले में इस न्यायालय के फैसले में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

( ऊपर)। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपराधी के अपराध के प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले अपराधी कर्मचारी जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की एक प्रति का हकदार है। केवल इसलिए कि प्रस्तावित सजा का संकेत देकर कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक [2021] 1 एस. सी. आर.

नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उत्तरदाता बैंक द्वारा पालन नहीं किया गया था। हमारा विचार है कि प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी के मामले में सहायक नहीं है। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण पूछताछ अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करता है और एक आदेश पारित करता है, तो सजा देने वाले आदेश में कोई विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। सजा जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर दी जाती है, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा आगे कोई विस्तृत कारण देने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि निदेशक मंडल द्वारा 10.12.2005 पर आयोजित बैठक में विभागीय अपील पर विचार किया गया था, इसलिए बोर्ड के निर्णय को संदर्भ में 21.12.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है। No.LGB/I & V/अपील/31/02/2005-06। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि आक्षेपित आदेश कारणों से रहित हैं। 8. यहां तक कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का अंतिम निवेदन कि लगाया गया दंड आरोपों की गंभीरता के अनुपात में नहीं है,

स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। विभागीय जांच में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और गंभीर हैं। अगर हम अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी कारणदर्शक नोटिस के लिए उनके दिनांकित पत्र 16.08.2005 में दी गई प्रतिक्रिया को देखें, तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने वस्तुतः आरोपों को स्वीकार किया है, हालांकि, यह समझाने की कोशिश की कि ऐसी खामियां काम के दबाव के कारण हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने इस हद तक कहा कि वह अपनी खामियों के कारण बैंक को हुए नुकसान को सहन करने के लिए तैयार हैं। बैंक का प्रबंधक बैंक के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बैंक अधिकारी/कर्मचारी जनता के पैसे का सौदा करता है। उनके काम की प्रकृति सावधानीपूर्वक कार्य करने के लिए अंतर्निहित आवश्यकता के साथ सतर्कता की मांग करती है। यदि बैंक के किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके अधिकार से परे काम करने की अनुमति दी जाती है, तो बैंक का अनुशासन समाप्त हो जाएगा। जब ऋण देने के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका सावधानीपूर्वक पालन करना पड़ता है और किसी भी विचलन से बैंकों पर जनता का विश्वास कम हो जाएगा। यदि किसी बैंक का प्रबंधक इस तरह के कदाचार में लिप्त है, जो दिनांकित आरोप ज्ञापन और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से स्पष्ट है, तो यह इंगित करता है कि ऐसे आरोप गंभीर और गंभीर हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों पर साबित कदाचार के बावजूद, अनुशासनात्मक बोलोरम बोर्डोलोई v.

लक्ष्मी गौलिया बैंक एंड ओआरएस। [ आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

प्राधिकरण स्वयं अनिवार्य दंड को लागू करने में उदार था

सेवानिवृत्ति। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगाया गया दंड, आरोपों की गंभीरता के लिए असमान है। इस प्रकार, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. उपरोक्त कारणों से, यह अपील योग्यता से रहित है, इसे लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे